न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 39/2018 एलआर एक्ट **GCMS No. 2018/00055**

1. सीतादेवी पत्नी
2. मेघराज पुत्र

} स्व. बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत चरकड़ा जरिये(सरपंच) तहसील नोखा।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र ईश्वरचन्द जाति गुप्ता निवासी 5 सी जेएनवी कॉलोनी बीकानेर।
3. हजारीराम पुत्र बुद्धाराम जाति बिश्नोई निवासी संजय कॉलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर
4. मनोहरी देवी पत्नी बीरमाराम जाति बिश्नोई निवासी संजय कॉलोनी नागौर तहसील व जिला नागौर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	अभिभाषक अपीलांट्	जयचन्द सारस्वत
	रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2	एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई
अनुपस्थित	अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 ता 4	राकेश कुमार बिश्नोई

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 09.02.2018 एवं ग्राम पंचायत चकरड़ा द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा के खसरा नंबर 2292/1652, 1652/2, 2293/1652, की भूमि स्थित है। उक्त वादगत भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 को विक्रय कर दी गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 स्वीकृत किया गया। अपीलांट ने उक्त इंतकाल संख्या 905 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपने आदेश दिनांक 09.02.2018 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 09.02.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम चरकड़ा के खसरा नंबर 2292/1652 तादादी 1.29 हैक्टयर व खसरा नंबर 1652/2 तादादी 0.86 हैक्टयर, खसरा नंबर 2293/1652 तादादी 0.43 हैक्टयर कुल 2.58 हैक्टयर रकबा सहित अन्य खसरा नंबर 1228, 1230, 1233/1, 1272, 1454, 1507, 1508 एवं 2042/1334 में कुल 27.98 हैक्टयर भूमि पुश्तेनी दर्ज रिकॉर्ड 1/2 हिस्सा अपीलांट की चली आ रही थी, जिसके बाबत सीतादेवी पुत्री बख्ताराम ने विधि विरूद्ध तरीके से न्यायालय से 1/3 हिस्से की इकतरफा डिग्री दिनांक 26.02.2001 को हासिल कर विभाजन का नामांतरकरण संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 को स्वीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा हर सक्षम न्यायालय में अपील पेश की गई जो आज भी विचाराधीन है इस दौरान वाद एवं स्थगन आदेश प्रभावी रहते उपरोक्त रकबा में अपने अपने नाम से अंकन का बेजा फायदा उठाकर कीमती जमीनों को आगे अजनबी क्रेता गण के अवैध विक्रय कर दी जिन्होने अमलाराज से मिली भगती करके 2006—07 के बैयनामों के आधार पर 2010 में नियम विरूद्ध नामांतरकरण दर्ज करवा लिये है जिनके खिलाफ अपील संख्या 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 11/11 इस न्यायालय में पेश होकर विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 27.06.18 मुकर्रर है, इसी प्रकार विभाजन के आदेश एवं डिग्री दिनांक 26.02.2001 न्यायालय सहायक कलक्टर नोखा के खिलाफ अपील न्यायालय राज़स्व अपील अधिारि बीकानेर में विचाराधीन हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी रहते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जैर अपील रकवा रेस्पो. संख्या 3 व 4 को दिनांक 04.06.2012 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 20.06.12 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इंतकाल संख्या 905 स्वीकृत कर दिया जवकि उस दिन मामला राजस्व मण्डल अजमेर में विचारधीन रहा है। जैर अपील इंतकाल संख्या 905 को सरपंच ग्राम पंचायत चरकड़ा से स्वीकृत करवा लिया, जो इंतकाल संख्या 905 जैर अपील रकबा बाबत उच्चतर न्यायालयों मे विवाद लम्वित रहते स्वतः ही शुन्या आदेश है को निरस्त करने के वजाय प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील को निरस्त कर दिया। जो हर आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय की मंशा के खिलाफ पारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने बताया कि जैर अपील रकवा को विक्रय करने का अधिकार नही था तथा दावा के निर्णय के खिलाफ अपील प्रभावी हैं तथा प्रकरण के विचाराधीन रहते तहरीर व तकमील वैयनामा धारा 52 टीपी एक्ट के तावे स्वतः निरस्त शून्य है। जैर अपील इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा क्षेत्राधिकार से वाहर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकृत किया है तथा मौके पर कब्जा की जांच किये बिना ही इंतकाल स्वीकृत फरमाया गया है। जबकि उक्त जैर अपील इंतकाल संख्या 905 को तहसीलदार नोखा ने अपीलांट के आपति प्रार्थना–पत्र पेश करने पर लोटा दिया गया था। इस कारण मेन्डेटरी प्रावधानों एवं न्याय की मंशा के खिलाफ पारित हर दोनों न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 09.02.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकार नोखा एवं इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

3– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त इंतकाल संख्या 325 दिनांक 18.08.2003 उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 20.12.2002 की पालना में दर्ज किया गया है। इंतकाल संख्या 325 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज हुआ और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रिकॉर्ड खातेदार के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 विक्रय की। उक्त इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ हैं ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बेयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। कि हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 905 दिनांक 20.06.2012 एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

4– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर